अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

संदिग्ध/अवैध जमांबदी रद्व अभिलेख सं0 03 /2018-19

बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधि0 1950 की घारा 4(h के तहत जॉच एंव कार्रवाई से संबधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
13/3/19	झारखंड सरकार के ज्ञापांक–2074/रा0 दिनांक–13.05.2016 सहपठित–श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या–3–खा0 म0 निति–119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एंव सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या–914/रा0 दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमांबदियो की जॉच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व उपनिरिक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है– मौजा–अमाधाटा मौजा न0–09 खाता न0 28 प्लॉट न0 138 रकवा 05 कटठा की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमांबदी उस मौजा के पंजी–।। के जिल्द संख्या 02 के पृष्ठ संख्या. 232 पर जमांबदी रैयत श्री/श्रीमति सुमित्रा सिंह के नाम से कायम है। हल्का राजस्व उपनिरिक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जांचोपरांत उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्व कायम जमांबदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जॉच प्रतिवेदन से प्रतित होता है कि उपर्युक्त जमांबदी किना सक्ष्म प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उदेश्य निजि लाभ एंव राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमांबदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतः– उपरोक्त जॉच प्रतिवेदन पर अंचल–निरिक्षक का मंतव्य प्राप्त करे। अभिलेख दिनांक 27/3/19 को रखे। 13.3.19 अंचल अधिकारी, धनबाद।	

27/3/19 आज अभिलेख उपस्थापित। अंचल निरिक्षकसे मंतव्य/प्रतिवेदन अप्राप्त है।

अभिलेख दिनांक 10/4/19 को रखे।

27.3.19
अंचल अधिकारी,
धनबाद।

10/4/19 अभिलेख उपस्थापित। अद्योहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य में व्यस्त है निर्वाचन के पश्चात अभिलेख दिनांक 24/4/19 को उपस्थापित करे।

10.4.19
अंचल अधिकारी,
धनबाद।

10/6/20 आज अभिलेख उपसथापित। अंचल निरिक्षक का मंतव्य/प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिश निर्गत करे।

अभिलेख दिनांक 20/6/20 को रखे।

10.6.20
अंचल अधिकारी,
धनबाद।

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदित भूमि मौजा आमाघाटा मौजा न0 09 खाता न0 28 प्लॉट न0 138 रकवा 10 कटठा भूमि से संबधी राजस्व कागजात उपलब्ध कराने हेतु जमांबदी रैयत को नोटिश निर्गत किया गया। जमांबदी रैयत के संबध में खोज–बीन करने के उपरांत पता नही चला, जिसके कारण नोटिश बिना तामिला का ही प्राप्त हुआ है। जो अभिलेख में संलग्न है। संबधित राजस्व कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक का जॉच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि गैरआवाद खाते की है दाखिल खारिज केस सं0 1196(I)1992–93 के अनुसार जमांबदी कायम है। तत्कालीन अंचल अधिकारी द्वारा जमांबदी को संदेहास्पद माना है। राजस्व कर्मचारी एंव अंचल निरिक्षक ने उक्त जमांबदी को रद्व हेतु अनुशंसा किया है।

अतः जॉच प्रतिवेदन के आलोक में जमांबदी रद्व अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता धनबाद, को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजे।

लेखापित एंव संशोधित।

10.6.20
अंचल अधिकारी,
धनबाद।

10.6.20
अंचल अधिकारी,
धनबाद।